

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 74/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 दिसंबर, 2018

सा.का.नि. _____ (अ) .- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
“(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-07** में आवेदन के भाग क में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग क में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्या स्थान अवस्थित है जो भाग क में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।”।
3. उक्त नियमों में, नियम 45 के उपनियम (3) में "छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त" शब्दों के पश्चात् "या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया" शब्दों का लोप किया जाएगा।
4. उक्त नियमों में, नियम 46 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
“परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।”।
5. उक्त नियमों में नियम 49 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
“परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रॉनिक बिल जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।”।
6. उक्त नियमों में नियम 54 के,--
(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
“परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।”।
(ख) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार टिकट जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।”।

7. उक्त नियमों में नियम 89 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण (ख) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“समायोजित कुल आर्वत” और “सुसंगत अवधि” के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में है।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (क) में “सम्यक् रूप से निर्यात माल फाईल करता है” शब्दों के पश्चात् “प्रस्थान घोषणापत्र या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 101 के उपनियम (1) में “वित्तीय वर्ष” शब्दों के पश्चात् “या उसका भाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों नियम 109क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

“109ख. पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश-(1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे **प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01** में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 स्पष्ट रूप से संपुष्ट मांग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।”।

11. उक्त नियमों में नियम 138 के उपनियम (1) में स्पष्टीकरण (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “हस्तशिल्प माल” का वही अर्थ है जो इसका समय-समय पर यथासंशोधित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1056(अ) तारीख 23 अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार करे वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 56/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 अक्टूबर, 2018 में है।”।

12. उक्त नियमों के नियम 138घ के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“138ड़. **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग क में जानकारी देने पर निर्बधन-नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01** के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्त करता जो,--

(क) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति है, उसने दो लगातार कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की हैं; या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने दो मास की लगातार अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

परंतु आयुक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण:-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'आयुक्त' पद से खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।'।

13. उक्त नियमों में, नियम 142 के उपनियम (5) में "धारा 74" शब्दों के पश्चात् 'या धारा 75 की उपधारा (12)' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखिए]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(नैमित्तिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाला कर का संग्रहण करने वाला, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:							
2.	विधिक नाम :							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो :							
4.	पता :							
5.	कर अवधि : (यदि कोई हो)	<वर्ष>/मास से > वर्ष >मास/						
6.	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु0):	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिशेष :					
		(ख)	सेवाओं के निर्यात+कर के संदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाएं के निर्यात - कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात					
		(घ)	आदेश के मद्दे					
			क्रम सं.	आदेश का प्रकार,	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)
			(i)	निर्धारण				
			(ii)	अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
			(iii)	अपील				
(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)							

		(ड.)	विपर्यस्त कर ढांचा के कारण संचित आई टी सी [धारा 54(3)] के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]			
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे - (कर संदाय के साथ)			
		(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे - (कर संदाय के बिना)			
		(ज)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता			
		(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)			
		(ञ)	अंतराराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतराराज्यिक प्रदाय अनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)			
		(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।			
		(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
8.	बैंक खाता के ब्यौरे	बैंक का नाम	बैंक शाखा का पता	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	खाता के प्रकार	खाता संख्या
9.	क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो			☐ हाँ ☐ नहीं		

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैंने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति]

घोषणा [धारा 54(3) (ii)]

मैं यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम /प्रास्थिति"

घोषणा [नियम 89(2) (च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूँ / देती हूँ यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]

मैं..... (आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान..... है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज या से तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर
नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

10. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/ प्रास्थिति

उपाबंध - 1

विवरण -1 [नियम 89 (5)]

प्रतिदाय : प्रकार विपर्यस्त कर सरंचना के लिए देय संचित आई टी सी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक के खंड (ii)]
(रकम रु0 में)

माल और सेवाओं के विपर्यस्त दर प्रदाय	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------	-----------------------------------

का आवर्त	प्रदाय पर संदेय कर		प्रत्यय	रकम
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2 (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएस टी आईएन रजिस्ट्री कृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी/बी 2 सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयारतों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) की धारा 9 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है ।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी/एफ आई आर सी		नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	मूल्य		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु० में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु० में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	बीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष /विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय के बगैर)

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	लदान बिल/निर्यात बिल/ पृष्ठांकित बीजक सं.	
	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु० में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय प्रकार :पी ओ एस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्य से अंतरराज्यिक और विपर्य)

आदेश ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो : आदेश सं.

आदेश तारीख

:

[illegible]

विवरण 7 [नियम 89 (2) (ट)]

नियम 89 (2) (ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

(रकम रु० में)

कर अवधि	विवरणी का ए आर एन	विवरणी फाईल करने की तारीख	संदेय कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र (नियम 89(2) (ड))

यह प्रमाणित किया जाता है किकर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई डी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा (शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षण दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाउन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्य संख्या:

स्थान:

तारीख:

टिप्पण : इस प्रमाणपत्र की ऐसे आवेदक से देने की अपेक्षा नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त पद:

- क. बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
- ख. ईजीएम : निर्यात साधारण घोषणापत्र
- ग. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
- घ. आईजीएसटी : एकीकृत माल और सेवा कर
- ङ. आईटीसी : इनपुट कर प्रत्यय
- च. पीओएस : प्रदाय का स्थान (श्रमिक राज्य)
- छ. एसईजेड : विशेष आर्थिक जोन
- ज. अस्थायी आईडी : अस्थायी पहचान संख्या
- झ. यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में उपलब्ध अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय रिटर्न या आवेदन फाइल करके भी दावा किया जा सकता है ।
3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करते समय इलैक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद लेजर में की जाएगी ।
4. **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है ।
5. आईजीएसटी के संदाय के साथ माल के निर्यात पर प्रतिदाय का दावा इस आवेदन के साथ प्रक्रियागत नहीं किया जाएगा ।
6. बैंक खाता ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कथन किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा ।
7. घोषणा उन मानकों में फाइल की जाएगी, जहां कहीं अपेक्षित हों ।
8. 'कुल इनपुट कर प्रत्यय' से सुसंगत अवधि के दौरान कथन-1 के प्रयोजन के लिए इनपुट पर उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कथन 3क और 5क के प्रयोजन के लिए इनपुट सेवाओं पर आईटीसी भी है ।
9. 'समायोजित कुल आवर्त' से धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को छोड़कर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है ।
10. कथन-1 के प्रयोजन के लिए, प्रतिदाय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए पर आधारित होगा ।
11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां बाध्यकारी होंगे, जहां सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाता है, माल के निर्यात के मामले में पोत बिल और ईजीएम प्रदान करना बाध्यकारी होगा ।
12. जहां (निर्यात समेत) बीजक ब्यौरों का संशोधन किया जाता है, प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।
13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे कथन-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे ।
14. कर के संदाय के बिना एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेव्लपर को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी ।
15. 'माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो नियम 89(4) में परिभाषित है।"।

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01क
[नियम 89(1) और 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मास > से <वर्ष/मास >						
6.	दावा किया गया प्रतिदाय की (रु०) :	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :					
		(ख)	माल/सेवाओं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बगैर (संचित आईटीसी)					
		(घ)	विपर्यस्त कर संरचना के प्रति देय संचित आईटीसी [धारा 54(3)] के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन					

[घोषणा धारा 54 (3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैंने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54 (3) (ii)]

मैं यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89 (2) (च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइनल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूँ/ देती हूँ यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]

मैं..... (आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान..... है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ

कि कर, ब्याज यासे तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(रू में रकम)

माल और	माल और	समायोजित	शुद्ध इनपुट कर	दावा की जाने वाली
--------	--------	----------	----------------	-------------------

सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	कुल आवर्त	प्रत्यय	अधिकतम प्रदाय रकम [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2 (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएस टी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2 बी2 सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) की धारा 9 की या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	उपकर	बी आर सी /एफ आई आर सी	नामोनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर

	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख	उपकर यदि कोई हो	उपकर यदि कोई हो	(6+7+10 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र		ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी		
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारी ख	संदर्भ सं.	तारी ख	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु० में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु० में.)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आई एन	बीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामेनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	करादेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु० में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु० में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतरराज्यिक और विपर्ययेन)

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो:

આદેશ સં૦:

आदेश तारीख:

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	राज्यांतरित/अन्तरराज्यिक पूर्व के रूप में संव्यवहार अच्छादित के ब्यौरे						संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक आधारित		
	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता भिन्न से की	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर

[illegible]

विवरण:7 [नियम 89(2) (ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रकम रु में)

कर अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

"।

16. उक्त नियमों के, प्ररूप जीएसटी आर-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जी एस टी आर-9 (नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी						
पीटी. I	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटी...II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे					
				(सभी सारणियों में रकम रुपये में)		
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल में जो संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					

ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
ञ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					

5	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई करसंदेय नहीं है
---	---

क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)				
---	---	--	--	--	--

ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय					
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्राप्त					
ङ.	शून्य स्टेड					
च	गैर - जी एस टी प्रदाय (जिसके अंतर्गत 'कोई प्रदाय नहीं' भी है)					
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)					
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय					
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय					
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)					
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)					
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड - 4छ)					

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6

वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे

क	प्ररूप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररूप जी एस टी आर - 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)		<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश				
		पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक					

	जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)				
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय				
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)				
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)				
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)				
ट	टी आर ए एन-। के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)				
ठ	टी आर ए एन-॥ के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय				
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी				
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)				
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)				

7	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी के और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे
---	---

क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन - । प्रत्यय का उलटाव				
छ	टीआर ए एन - ॥ प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपर्युक्त क से ज का जोड़)				

ज	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				
---	--	--	--	--	--

8	सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी				
---	--------------------------------	--	--	--	--

क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख+ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			
झ	अंतर (छ-ज)				
ञ	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. +च+ ज)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रुप में संदत्त कर के ब्यौरे
----------	--

				आई टी सी के माध्यम से संदत्त
--	--	--	--	------------------------------

9	विवरण	सं देय कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शासति						
	अन्य						

पीटी. v	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां
---------	---

	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर (शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर (शुद्ध साख पत्र)					

12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. vi	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							

घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ड.	कुल करों की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16	धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रतियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल
----	---

	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

17	जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन
----	------------------------------------

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं देय मू ल	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
--------------	------------	------------	-------------	----------	-------------	-------------------------------	-----------	------

			य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18	आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश							
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	सं देय मू ल्य	कर की द	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान :
हस्ताक्षकर्ता का नाम
तारीख :
पदनाम/प्रास्थिति

प्राधिकृत

अनुदेश :--

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख भरना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए। तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान गैरदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का करदाता दावा नहीं कर सकता ।

4. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटी आर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया

	गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ञ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है। नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5घ, 5ङ और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा। 'कोई प्रदाय नहीं' का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।

5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवर्स प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

5. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा। जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिवर्स किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख

	की सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) (3) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ङ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) (1) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) (2) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (क) (4) का उपयोग किया जा सकेगा ।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ञ.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
6ट.	प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ठ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहां घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी । इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है,

	के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा। यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ में वर्णित रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित नहीं किया गया तो प्ररूप जीएसटी आर-9 की सारणी 7ड में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4घ में उल्लिखित रकम प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित है तो प्रविष्टि प्ररूप जीएसटी आर-09 की 7ड में आएगी।
8क.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित और प्ररूप जीएसटी आर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा । यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है ।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा ।
8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) (5) का उपयोग किया जा सकेगा ।
8घ	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटी आर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । तथापि, जहां ऐसी परिस्थितियां हों कि प्ररूप जीएसटीआर-2क में उपलब्ध प्रत्यय से प्ररूप जीएसटी आर-3ख में उपभुक्त प्रत्यय अधिक था तो ऐसे मामलों में पंक्ति 8घ में मूल्य नकारात्मक होगा ।
8ङ और 8च.	प्रत्यय जो उपलब्ध था और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग नहीं किया गया और प्ररूप जीएसटीआर-3ख वह उपभोग किए जाने के लिए वह पात्र नहीं था को यहां घोषित किया जाएगा । आदर्श रूप से, यदि 8घ धनात्मक है तो 8ड और 8च का जोड़ 8घ के बराबर होगा।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
8ज.	सारणी 6ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा ।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी ।

6. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

7. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा पूर्व वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाईल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाईल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाईल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई आईटीसी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था परंतु वित्तीय 2018-19 में उसका पुनः दावा किया गया, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।

8. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं। भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके

	अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं है । इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं है ।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
16ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए । यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है । यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है । माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं । मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है । सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा । यह नोट किया जाए कि इसके संक्षिप्त ब्यौरे केवल उन आवक प्रदायों के लिए घोषित किए जाएं जिनका मूल्य आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो ।
19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है ।

9. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से इस रूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में 'वार्षिक विवरणी' का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएं।

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क (नियम 80 देखिए) वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)							
भाग. I	आधारिक ब्यौरे						
1	वित्तीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	<स्व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
4	वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि						
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त						
(सभी सारणियों में रुपए में रकम)							
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे						
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं						
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के						

	लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे					
9	वर्णन	कुल संदेय कर		संदत्त		
	1	2		3		
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस					
	शास्ति					
भाग IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विवरणियो में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6

10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)							
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)							
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)							
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)							
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर							
	वर्णन	संदेय				संदत्त		
	1	2				3		
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							

घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							
16	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर			
	1	2	3	4	5			
क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)							
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)							
17	संदेय और संदत्त विलंब फीस							
	वर्णन	संदेय	संदत्त					
	1	2	3					
क	केंद्रीय कर							
ख	राज्य कर							

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान

:

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-4 फाइल करना आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।
3. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है।

4. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप

	जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा ।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा ।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

5. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाईल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाईल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

6. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाईल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं । स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा । इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे ।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

7. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में 'वार्षिक विवरणी' का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

“प्ररूप जीएसटीआर-9ग

नियम 80(3) देखें

भाग क-समाधान विवरण

भाग. I		मूलभूत ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष		
2	जीएसटीआईएन		
3क	विधिक नाम	< स्व>	
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्व>	
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ? <<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>		
		(सभी सारणियों में रकम रूप में)	
भाग. II		वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान	
5	सकल आवर्त का समाधान		
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)		
	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)	
	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)	
	व्यापार बढ़ा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)	
	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)	
	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)	
ज	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)	

ट	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)	
ठ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)	
ड	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-)	
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(+/-)	
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त		<स्व>
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)		एटी1
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	
7	कराधेय आवर्त का समाधान		
क	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)		<स्व>
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य		
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय		
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाना है।		
ङ	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क - ख - ग - घ)		<स्व>
च	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त		
छ	असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ङ)		एटी 2
8	कराधेय आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	

भाग. III	संदत्त कर का समाधान					
9	दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान					
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द				संदेय कर		
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	5% (आरसी)					
	12%					
	12% (आरसी)					
	18%					
	18% (आरसी)					
	28%					
	28% (आरसी)					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य					
	उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		<स्व>	<स्व>	<स्व>	<स्व>
	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
	रकम का असमाधानकृत संदाय (पीटी 1)					
10	रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
क	कारण 1	<<पाठ>>				

ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
11	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)					
			नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य (कृप्या विनिर्दिष्ट करें)					
भाग. IV	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
12	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
क ख ग	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)					
	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)				(+)	
	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)				(-)	

घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर		<स्व>	
ङ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय			
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)		आईटीसी 1	
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण			
क	कारण 1	<<पाठ>>		
ख	कारण 2	<<पाठ>>		
ग	कारण 3	<<पाठ>>		
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान			
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम
	1	2	3	4
	क्रय			
	भाड़ा/ढुलाई			
	ऊर्जा और ईंधन			
	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)			
	किराया और बीमा			
	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बट्टे खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल			
	स्वामिस्व			
	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि ।)			
	प्रवहण प्रभार			
	बैंक प्रभार			
	मनोरंजन प्रभार			
	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)			

ड ढ ण त थ	मरम्मत और अनुरक्षण					
	अन्य प्रकीर्ण व्यय					
	पूंजी माल					
	कोई अन्य व्यय 1					
	कोई अन्य व्यय 2					
	द	उपभुक्त पात्र आईटीसी की कुल रकम			<<स्व>>	
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी					
न	असमाधानकृत (आईटीसी 2)					
15	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण					
क ख ग	कारण 1	<<पाठ>>				
	कारण 2	<<पाठ>>				
	कारण 3	<<पाठ>>				
16	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से)					
	वर्णन	संदेय रकम				
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	एकीकृत कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	शास्ति					
भाग. V	गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश					
			नकदी के माध्यम से संदेय			
	वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					

12%					
18%					
28%					
3%					
0.25%					
0.10%					
इनपुट कर प्रत्यय					
ब्याज					
विलम्ब शुल्क					
शास्ति					
वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में सम्मिलित नहीं किए गए प्रदायों के लिए संदत्त कोई अन्य रकम					
वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					
परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

रजिस्ट्रकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि संपरीक्षा द्वारा तैयार और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण में अपलोड कर रहा हूँ और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अन्य विवरण, यथालागू, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण, लेखा लाभ और हानि और तुलनपत्र आदि भी हैं, भी अपलोड कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए निबंधन :
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-01, प्ररूप जीएसटीआर-3ख और प्ररूप जीएसटीआर-9 भरने आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।
4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

सारणी सं० अनुदेश

- 5क वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है। यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा। यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है।
- 5ख ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोन्नत प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

(उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय

गिया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा) ।

- 5ग. ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5घ. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
- 5ङ. चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5च. व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी ।
- 5छ. अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ज. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5झ. सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ञ. प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ट. एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ठ. ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ड. ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में

- रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ढ. विदेशी विनिमय घटबढ़ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5ण. ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
- 5थ. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5ढ, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा ।
6. वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
7. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है ।
- 7क. सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
- 7ख. छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
- 7ग. शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
- 7घ. विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
- 7ङ. कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है ।
- 7च. वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी (4ढ-4छ)+(10-11) में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा ।
8. समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ङ से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी सं.	अनुदेश
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप में चिह्नित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :--

सारणी सं.	अनुदेश
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यक्ति जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा।

12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा ।
12ङ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ज में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा ।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है । इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है । करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा ।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी ।
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी । वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7ज को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी ।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है । संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है । कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा । अंतः में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी ।

8. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में 'समाधान विवरण' का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलैक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

1. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने--

(क) को तुलन-पत्र की ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;

(ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है ।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति--

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षकों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

.....
.....

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और

सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है।

5. मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षकों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्ष उक्त प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

.....

(ख)

.....

(ग)

.....

.....

.....

* (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं।

(क) को तुलन-पत्र ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;

(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 (5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 (2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षकों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्वधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

.....

(ख)

.....

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता"

19 उक्त नियम प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: --

''प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में,

.....
.....
.....

जीएसटीआईएन:

आदेश सं०-

तारीख

धारा 108 के अधीन नोटिस

जहां अधोहस्ताक्षरी के नोटिस में यह आया है कि (अधिकारी का पदनाम) द्वारा इस अधिनियम/ राज्य का नाम.....<<माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश जहां तक यह राजस्व के हित में प्रतिकूल है, त्रुटिपूर्ण है और अवैध है या आयुक्ति युक्त है अथवा इसमें कतिपय सारवान तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसलिए मैं इसके साथ संलग्न दस्तावेज में विनिर्दिष्ट आधारों पर धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण में एक आदेश पारित करने का आशय करता हूं ।

आपको इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया जाता है।



आपको तारीख.....समय.....पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो इस मामले को उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय विनिश्चित किया जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख

पदनाम:

अधिकारिता/कार्यालय-।''

20. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: --

''प्ररूप जीएसटी एपीएल-04
(नियम 109ख, 113(1) और 115 देखें)

अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात् मांग का सार

निदेश सं. --

तारीख -

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी/युआईएन
2.	अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम
3.	अपीलार्थी/व्यक्ति का पता
4.	अपील के विरुद्ध या पुनरीक्षण के लिए आशयित आदेश संख्या तारीख
5.	अपील सं०
6.	व्यक्तिगत सुनवाई
7.	संक्षिप्त आदेश-
8.	आदेश की प्राप्ति- संपुष्ट/उपांतरित/निरस्त

9. अपील/पुनरीक्षण के पश्चात् मांग की रकम:

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		योग	
	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम	अवधारित रकम	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम	अवधारित रकम	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम	अवधारित रकम	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम	अवधारित रकम	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम	अवधारित रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) कर										
ख) ब्याज										
ग) शास्ति										
घ) फीस										
ड) अन्य										
च) प्रतिदाय										

10. आईजीएसटी मांग के प्रदायवार ब्यौरो का स्थान

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम					
	अवधारित रकम					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपील प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी/अधिकरण/अधिकारिता वाले अधिकारी का नाम

पदनाम:

अधिकारिता: ' '।

[फा.सं. सीबीइसी/20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 60/2018-केंद्रीय कर तारीख 30 अक्टूबर, 2018, जो सा.का.नि. सं. 1075(अ) तारीख 30 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।